रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062025-264166
CG-DL-E-26062025-264166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

सं. 21/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 418(अ).— जबकि चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 8477 10 00 अथवा 8477 90 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 06/09/2024-डीजीटीआर, दिनांक 27 मार्च, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 27 मार्च, 2025 को प्रकाशित किया गया था, के साथ पठित शुद्धिपत्र , जिसे दिनांक 26 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया था , में अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत में पाटित मूल्य पर निर्यात किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से विषयगत आयातों के कारण सारवान क्षति हुई है ;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के डंप किए गए आयात के कारण सारवान क्षति हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	84771000 और 84779000	प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	डोंगगुआन फू चुन शिन प्लास्टिक मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड और फू चुन शिन (निंगबो) मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड	48%
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चेन ह्सोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चेन ह्सोंग सेल्स एंड मार्केटिंग (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, चेन ह्सोंग मशीनरी (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चेन ह्सोंग मशीनरी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, फ़ोशान शुंडे चेन डे प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड	27%
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	यिज़ुमी प्रेसिजन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी हाई स्पीड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (एचके) कं, लिमिटेड, यिज़ुमी प्रेसिजन मशीनरी (सूज़ौ) कं, लिमिटेड	35%
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम्स शंघाई लिमिटेड	0%

5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1,2,3 और 4 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	63%
6.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. एवं ताइवान के अलावा कोई भी अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	63%
7.	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	चेन ह्सोंग मशीनरी ताइवान कं, लिमिटेड	39%
8.	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	हुओर्वंग मशीनरी लिमिटेड .	0%
9.	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	53%
10.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. एवं ताइवान के अलावा कोई भी अन्य देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	53%

नोट 1 : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें (पीपीएम) या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

नोट 2 : विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनका क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 1500 टन से अधिक नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल की गई, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), कम्पलीट नॉक्ड डाउन फॉर्म (सीकेडी) या एसकेडी और सीकेडी का संयोजन शामिल है। दायरे को नीचे और स्पष्ट किया गया है -

क. सेमी नॉक डाउन स्टेज में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन का मतलब ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन होगी जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, लेकिन इसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पार्ट्स या सब-असेंबली एक साथ फिट नहीं होती हैं और मशीन इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती है। सेमी नॉक डाउन मशीन में सब-असेंबली भी शामिल होगी जैसे क्लैम्पिंग/क्लैंप यूनिट, स्क्रू और बैरल के साथ या बिना इंजेक्शन यूनिट, मशीन बेस फ्रेम और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए आयातित फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर।

ख. पूर्णतया नष्ट अवस्था में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन का अर्थ अपूर्ण या अधूरा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन है, जो एक साथ रखे जाने पर पूर्ण मशीन का अनिवार्य चरित्र रखती है, तथा जिसमें मशीनों को संयोजित करने के लिए आवश्यक सभी घटक होते हैं।

नोट 3 : निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है: -

क. उपशीर्षक 8477 30 00 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।

ख. ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें.

ग. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिनमें यांत्रिक गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्डिंग बंद करना, मोल्डिंग खोलना, इजेक्शन, स्क्रू-ड्राइव आदि स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।

घ. फुटवियर बनाने के लिए बहु-रंगीन/बहु-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/एड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षक 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

ङ. सेकेंड हैंड/प्रयुक्त प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें।

च. ऊपर निर्दिष्ट भागों/घटकों के अलावा किसी भी स्टैंडअलोन भाग/घटक का आयात।

छ. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के अलावा किसी अन्य मशीन के उत्पादन के लिए आयातित क्लैम्पिंग/क्लैम्प इकाई, स्क्रू और बैरल सहित या रहित इंजेक्शन इकाई, मशीन बेस फ्रेम और फैब्रिकेशन फ्रेम/कवर का आयात।

नोट 4 : सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु,

(क) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजनों हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया है, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी ।

(ख) "सीआईएफ मूल्य" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य से है।

[फा. सं. 190354/52/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2025

No. 21/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 418(E).— Whereas in the matter of "Plastic Processing Machines" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 8477 10 00 or 8477 90 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 06/09/2024-DGTR, dated the 27th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th March, 2025, read with corrigendum dated 26th June, 2025, has, *inter alia* come to the conclusion that—

(i) the subject goods have been exported to India from the subject countries at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports from subject countries;

(iii) the material injury has been caused to the domestic industry by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff Items	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	8477 10 00 or 8477 90 00	Plastic Processing Machinery	China PR	Any country including China PR	Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. and Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd	48%
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Chen Hsong Machinery Co Ltd, Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd, Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd., Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd, Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd., Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd	27%
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd., Yizumi High Speed Packaging Technology Co., Ltd, Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited, Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd	35%
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd	0%
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than producers mentioned at S No. 1,2,3 and 4 above	63%
6.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Taiwan	China PR	Any producer	63%
7.	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd.	39%

8.	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Huarong Plastic Machinery Co., Ltd	0%
9.	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer other than producers mentioned at S No. 7 and 8 above	53%
10.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Taiwan	Taiwan	Any producer	53%

Note 1: The product under consideration in the present investigation is Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines, also known as injection presser, used for processing and moulding of plastic materials.

Note 2 : The scope of the product under consideration includes all kinds of plastic processing or injection moulding machines, having a clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1500 tonnes. The scope of the product under consideration includes machines in fully assembled, semi knocked down (SKD), complete knocked down form (CKD), or a combination of SKD & CKD. The scope is further clarified below –

a. A plastic processing machine in semi knocked down stage shall mean a plastic processing machine which is not fully assembled but is transacted as a plastic processing machine with parts or sub-assemblies not fitted together and the machine is not ready to use. A semi knockdown machine shall also imply sub-assemblies namely clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for injection moulding machine.

b. A plastic processing machine in completely knocked down stage shall mean a plastic processing machine in its incomplete or unfinished form, has the essential character of the complete machine when put together, and contains all components required for assembling the machines.

Note 3 : The following products are specifically excluded from the scope of the product under consideration: -

a. Blow moulding machines classified under tariff item 8477 30 00 under the Customs Tariff Act, 1975;

b. Vertical injection moulding machines;

c. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, moulding closing, moulding opening, ejection, screw-drive etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without hydraulic unit;

d. Multi-colour/multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Custom Tariff Act, 1975 under sub heading 8453;

e. Second hand/used plastic processing machines;

f. Imports of any standalone parts/components, other than those specified above;

g. Imports of clamping/clamp unit, injection unit with or without screw & barrel, machine base frame and fabrication frames/covers imported for production of a machine other than injection moulding machines;

Note 4: The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification,

(a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/52/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2025.06.26 21:23:38 +05'30'